रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2019/आषाढ़ 27, 1941
No. 412] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2019/ASHADHA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 511(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373(अ), तारीख 20 मई 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 20 मई, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 126 में "या ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, चेन्नई" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों को अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"या नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (एनएटीआरएएक्स), इंदौर।"

[फा.सं. आरटी-11028/10/2018–एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3 उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून,1989 और अंतिम संशोधन संख्या सा.का.नि. 440(अ) तारीख 21 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2019

G.S.R. 511(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 373(E) dated the 20th May, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 20th May, 2019;

AND whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 126, after the words "or from Global Automotive Research Centre, Chennai" the following words, brackets shall be inserted, namely:-

"or the National Automotive Test Tracks (NATRAX), Indore".

[F. No RT-11028/10/2018-MVL]
PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R.440(E), dated the 21st June, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.19 15:46:15 +05'30'